



प्रेस नोट

थाना - कपूरपुर

दिनांक 31.12.2024

- थाना कपूरपुर पुलिस ने जनपद गाजियाबाद के थाना मसूरी से आर्म्स एक्ट के अभियोग में 10 हजार रुपये के पुरस्कार घोषित अपराधी को किया गिरफ्तार ।
- जिसके कब्जे से अवैध असलहा बरामद ।
- गिरफ्तार अभियुक्त जनपद गाजियाबाद के थाना मसूरी के मु0अ0सं0 26/1999 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में मा0 न्यायालय से जमानत के पश्चात करीब 25 वर्षों से लगातार गैर-हाजिर चल रहा था ।

कार्यवाही:-

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं शांति/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कपूरपुर पुलिस द्वारा जनपद गाजियाबाद के थाना मसूरी से आर्म्स एक्ट के अभियोग में 10 हजार रुपये के पुरस्कार घोषित अपराधी को नरैना नहर बाम्बा के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से अवैध असलहा बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कपूरपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

राजू उर्फ रियाजुद्दीन पुत्र शौकत निवासी वार्ड नं0-07 कस्बा डासना थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद व हाल निवासी- गली0नं0 06 मजीदपुरा थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ ।

बरामदगी का विवरण-

एक अवैध तमंचा मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 26/1999 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद ।
2. मु0अ0सं0 321/2016 धारा 307 भादवि व 25, 4/25 शस्त्र अधि0 थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद ।
3. मु0अ0सं0 377/2021 धारा 380/411 भादवि थाना हापुड नगर जनपद हापुड ।
4. मु0अ0सं0 1182/21 धारा 323/504/506325 भादवि थाना हापुड नगर जनपद हापुड ।
5. मु0अ0सं0 562/2023 धारा 13 जुआ अधि0 थाना हापुड नगर जनपद हापुड ।
6. मु0अ0सं0 213/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना कपूरपुर जनपद हापुड ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना कपूरपुर जनपद हापुड ।
2. उ0नि0 (यूटी) यतेन्द्र कुमार थाना कपूरपुर जनपद हापुड ।
2. है0का0 500 अरशद रजा थाना कपूरपुर जनपद हापुड ।
3. है0का0 661 अंकित चौधरी थाना कपूरपुर जनपद हापुड ।